न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या : 29/2018

GCMS No : 2018/00061

1 नाथु पिता भूरा जी जाति जटीया आयु वयस्क निवासी पंचतोली तह0 एवं जिला चित्तौडगढ राज0

––प्रार्थी

बनाम

1. घनश्याम पिता अम्बालालजी जाति ढोली आयु वयस्क निवासी सतखंडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
2. सीता पुत्री अम्बालालजी जाति ढोली आयु वयस्क निवासी सतखंडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
3. चन्द्री पुत्री अम्बालालजी जाति ढोली आयु वयस्क निवासी सतखंडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
4. जस्सु पुत्री अम्बालालजी जाति ढोली आयु वयस्क निवासी सतखंडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
5. लता पुत्री अम्बालालजी जाति ढोली आयु वयस्क निवासी सतखंडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
6. बसन्ती पुत्री अम्बालालजी जाति ढोली आयु वयस्क निवासी सतखंडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
7. शिवलाल पिता भाना जी जाति रेगर आयु वयस्क निवासी मांगरोल तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

––विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू – राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता वादी
2– पेरोकार सरकार – अधिवक्ता विपक्षी नं0 8

:: निर्णय :: दिनांक 18.01.2023

1. संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि वाके मौजा महमुदगंज तहसील निम्बाहेडा की आराजी जिसके नये खाता संख्या 47 के आराजी नं0 290 रकबा 0.2500 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की हैं। वादग्रस्त आराजी नं0 290 जिसके पुराने आराजी नं0 243/135 [illegible] बीघा भूमि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त मे चली आ रही है जिस पर प्रार्थी [illegible] पूर्ण तरीके से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.02.15 10:17:04 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

2. उक्त वर्णित आराजीयात में [illegible] मे सही रुप से [illegible] थी परन्तु वर्तमान में नये सेटलमेन्ट होने के बाद राजस्व कर्मचारियो की गलती की वजह से वर्तमान नक्शाट्रेस मे गलत रुप से तरमीम कर दिया है। प्रार्थी जहां पर काबिज हे उस जगह विपक्षीगण की आराजीयात दर्शा दी गई है तथा प्रार्थी की आराजीयात को गलत रुप से तरमीम कर नवीन नक्शा ट्रेस मे गलत रुप से दर्शा दिया हैं, तथा प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे शुदा आराजी की आराजी नं0 290 का नये नक्शा ट्रेस में सही रुप से तरमीम नही किया है। जो राजस्व कर्मचारीयों की गलती से हुआ है तथा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

जहां पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है उस जगह विपक्षीगण का नक्शाट्रेस मे तरमीम कर दिया है। उक्त नक्शाट्रेस में राजस्व कर्मचारियों की गलती से सेटलमेन्ट मे नक्शा ट्रेस में गलत अंकन कर तरमीम कर दिया है। तथा उक्त नक्शा ट्रेस मे अंकन प्रार्थी के मौके पर कब्जे अनुसार नही किया है जो सेटलमेन्ट कर्मचारियों की गलती की वजह से गलत दर्ज कर दिया है जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

3. प्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि मौजा महमुदगंज तह0 निम्बाहेडा की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी का उक्त नवीन नक्शा ट्रेस व नवीन जमाबन्दी में तरमीम प्रार्थी के मौके पर काबिज अनुसार, अंकन कर कब्जे अनुसार इन्द्राज कर तरमीम किया जावे।प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ नवीन नक्षा ट्रेस, नवीन चालू जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 की खाता संख्या 47,39,91, मिलान क्षैत्रफल, पुरानी जमाबंदी सम्वत 2065 से 2068 की खाता संख्या 42, पुराना नक्शा ट्रेस पेश किये।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी नं0 1 से 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित हुये उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई, विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा जवाब एवं अनुशंषा कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया गया और साथ में पटवारी हल्का सतखण्डा एवं भू0अ0निरीक्षक मांगरोल की मौका रिपोर्ट संलग्न कर पेश कि जिस अनुसार ग्राम महादेव पुरा (महमुदगंज) की गत भू–प्रबंध आराजी नं0 135 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा मे से जरिये नामांतरण संख्या 149 से आराजी नं0 243/135 रकबा 1 बीघा भूमि श्री भंवरलाल पुत्र श्री मांगीलाल ढोली निवासी सतखण्डा के नाम नामान्तरण संख्या 151 से आराजी नं0 245/135 रकबा 10 बिस्वा भूमि मगना पिता नारायण चमार निवासी सतखंडा के नाम से तथा ना0सं0 193 से आराजी नं0 265/135 रकबा 10 बिस्वा भूमि अम्बालाल पुत्र मांगीलाल ढोली के नाम (आवंटन से) दर्ज हुई हैं।

भंवरलाल पिता श्री मांगीलाल ढोली के बजाए विक्रय से नामान्तरण संख्या 346 दिनांक 12/11/2012 से नाथु पुत्र भुरा जटीया निवासी पंचतोली जिला चित्तौडगढ के नाम तथा मगना पिता नारायण के बजाए विक्रय से ना0सं0 55 दिनांक 05/11/2014 से शिवलाल पिता माना रेगर निवासी मांगरोल के नाम तथा अम्बालाल पुत्र मांगीलाल ढोली के बजाए विरासत से वारिसान घनश्याम, चन्द्री, जस्सु, बसन्ती, लता, सीता पिता अम्बालाल वगैरा के नाम दर्ज रेकार्ड हुई। पत्रावली पर संलग्न नकल नामांन्तरण पर चस्पा नक्शा ट्रेस अनुसार प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि नवीन भू–प्रबंध नक्शे में भिन्न जगह दर्ज कर दी गई हैं। गत साबिक नम्बरान मे दर्ज भूमि एवं संलग्न नामांतरण पर चस्पा नक्शा ट्रेस की नकल प्रति से मिलान उपरान्त तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा संशोधित प्रस्ताव अनुसार तरमीम किये जाना उचित प्रतीत होता है।

5. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सूनी गई पत्रावली का अवलोकन एवं दस्तावेजो का अध्ययन किया गया प्रकरण के मुख्य तथ्य एवं तहसीलदार निम्बाहेडा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम महादेव पुरा (महमुदगंज) की गत भू–प्रबंध आराजी नं0 135 रकबा 7 बीघा 15 [illegible] से जरिये नामांतरण संख्या 149 से आराजी नं0 243/135 रकबा 1 बीघा [illegible] भंवरलाल पुत्र श्री मांगीलाल ढोली निवासी सतखण्डा के नाम ना0सं0 151 से [illegible] नं0 245/135 रकबा 10 बिस्वा भूमि मगना पिता नारायण चमार निवासी [illegible] के नाम से तथा ना0सं0 193 से आराजी नं0 265/13[illegible] अम्बालाल पुत्र मांगीलाल ढोली के नाम (आवंटन से) दर्ज हुई हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.02.15 10:17:04 IST
Reason: SelfAttested

6. भंवरलाल पुत्र मांगीलाल ढोली के बजाए विक्रय से नामान्तरण संख्या 346 दिनांक 12/11/2012 से नाथु पुत्र भुरा जटीया निवासी पंचतोली जिला चित्तौडगढ के नाम तथा मगना पिता नारायण के बजाए विक्रय से ना0सं0 55 दिनांक 05/11/2014 से शिवलाल पिता माना रेगर निवासी मांगरोल के नाम तथा अम्बालाल पुत्र मांगीलाल ढोली के बजाए विरासत से वारिसान घनश्याम, चन्द्री, जस्सु, बसन्ती, लता, सीता

उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

पिता अम्बालाल वगैरा के नाम दर्ज रेकार्ड हुई। मिलान क्षेत्रफल अनुसार भू–प्रबन्ध अनुसार निम्नानुसार नये खसरा नम्बर बने पुराने आराजी न0 243 / 135 रकबा 1 बीघा के नवीन आराजी न0 290 रकबा 0.25 हैक्टेयर श्री भंवरलाल पिता मांगीलाल ढोली के के बजाय विक्रय से नामातंरण सं. 346 दिनांक 12.11.12 से प्रार्थी नाथू पिता भूरा जटिया साकिन पंचतोली तहसील चित्तौडगढ के नाम तथा पुराने आराजी न0 245 / 135 रकबा 10 बिस्वा के नवीन आराजी न0 313 रकबा 0.13 है0 मगना पिता नारायण चमार के बजाय विक्रय से नामांकन संख्या 55 दिनांक 5.11.14 से शिवलाल पिता भाना रेगर साकिन मांगरोल के नाम तथा पुराने आराजी न0 265 / 135 रकबा 10 बिस्वा के नवीन आराजी न0 312 रकबा 0.13 है0 अम्बालाल पिता मांगीलाल ढोली के बजाय विरासत से वारिसान घनश्याम, चन्द्री, जस्सु, बसंती लता सीता पिता अम्बालाल ढोली वगैरह के नाम तथा पुराने आराजी न0 213 / 135 रकबा 12बीघा के नवीन आराजी न0 297 रकबा 1.75 है0 व 286 रकबा 0.25 है0 चारागाह दर्ज रिकार्ड हैं ।

7. प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों को नवीन नक्शा ट्रेस, नवीन चालु जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 की खाता संख्या 47,39,91, मिलान क्षेत्रफल, पुरानी जमाबंदी सम्वत 2065 से 2068 की खाता संख्या 42, पुराना नक्शा ट्रेस पेश किये। तहसीलदार निम्बाहेडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर तरमीम किया जाना प्रस्तावित है। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि नाथु पुत्र भुरा जटिया निवासी पंचतोली जिसका वर्तमान में खसरा नम्बर 290 है एवं रकबा 0.25 हैक्टयर है उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है एवं प्रार्थी का कब्जा खसरा 297 कुल रकबा 1.75 है0 में से 0.12 है0 एवं आ.न. 312 रकबा 0.13 हे0 पर है जो गत भू–प्रबन्ध के पूर्व यही था। शिवलाल पुत्र भाना रेगर निवासी मांगरोल जिसका वर्तमान में खसरा नम्बर 313 है एवं रकबा 0.13 हैक्टेयर है उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है एवं प्रार्थी का कब्जा खसरा 286 रकबा 0.25 हे0 मे से 0.13 हैक्टेयर में है जो गत भू प्रबन्ध के पूर्व यही था। ।घनश्याम पुत्र अम्बालाल ढोली वगैरा जिसका वर्तमान में खसरा नम्बर 312 है एवं रकबा 0.13 हेक्टैयर है उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है एवं प्रार्थी का कब्जा खसरा न 313 रकबा 0.13 हैक्टेयर में है जो गत भू प्रबन्ध के पूर्व यही था। चरागाह जिसका वर्तमान में खसरा संख्या 297 रकबा 1.75 हैक्टयर है तथा खसरा संख्या 286 रकबा 0.25 है जबकि वास्तविक रूप से चरागाह खसरा नम्बर 297 रकबा 1.63, खसरा नबर 286 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 290 रकबा 0.25 हे0 होना चाहिए जो गत भू प्रबन्ध के पूर्व यही था।

अतः तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा सम्वत् 2071–2074 की खाता संख्या 47,39,91, व प्रस्तावित नक्शा ट्रेस एवं मौका रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो नवीन चालु जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 की खाता संख्या 47,39,91, मिलान क्षेत्रफल, पुरानी जमाबंदी सम्वत 2065 से 2068 की खाता संख्या 42, जिससे निम्न वर्णित सारणी अनुसार तरमीम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	वर्तमान विवरण		प्रस्तावित विवरण	
		खसरा नं0	रकबा	खसरा नं0	रकबा
1	नाथु पुत्र भुरा जटिया निवासी पंचतोली	290	0.25है0	297 मे से 312	0.12 0.13
2	शिवलाल पुत्र भाना रेगर निवासी मांगरोल	313	0.13है0	286 मे से	0.13
3	घनश्याम पुत्र अम्बालाल ढोली वगैरा	312	0.13है0	313	0.13
4	चरागाह	297 286	1.75है0 0.25है0	297 286 290	1.63 0.12 0.25

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.02.15 10:17:04 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

GCMS No- 2018/00061
प्रकरण संख्या 29 / 2018

:: – आदेश – ::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 वाके मौजा महमुदगंज पटवार हल्का खतखण्डा तह0 निम्बाहेडा की आराजी जिसके नये खाता संख्या 47 के आराजी नं0 290 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खाता संख्या 91 की आराजी न0 313 रकबा 0.13है0, खाता संख्या 39 की आराजी न0 312 रकबा 0.1300है0, खाता संख्या 220 की आराजी न0 297 रकबा 1.75 है0 एवं आराजी न0 286 रकबा 0.25 है0 भूमि की तरमीम किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा की रिपोर्ट एवं प्रस्तावित हैं । नक्शा ट्रेस एवं प्रस्तावित विवरण अनुसार निम्नानुसार अमल दरामद करे।

क्र. सं.	नाम खातेदार	वर्तमान विवरण		प्रस्तावित विवरण	
		खसरा नं0	रकबा	खसरा नं0	रकबा
1	नाथु पुत्र भुरा जटिया निवासी पंचतोली	290	0.25है0	297 मे से 312	0.12 0.13
2	शिवलाल पुत्र भाना रेगर निवासी मांगरोल	313	0.13है0	286 मे से	0.13
3	घनश्याम पुत्र अम्बालाल ढोली वगैरा	312	0.13है0	313	0.13
4	चरागाह	297 286	1.75है0 0.25है0	297 286 290	1.63 0.12 0.25

निर्णय आज दिनांक 18.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

18/1/23

(रमेश सीरवी पुनाडियॉ)
उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़)

उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.02.15 10:17:04 IST
Reason: SelfAttested